

अध्याय VI

कर प्रशासन तथा आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर)

6.1 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर की लेखापरीक्षा


इस अध्याय में पारंपरिक अप्रत्यक्ष करों अर्थात केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। भारतीय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर प्रशासन एक स्व-मूल्यांकन प्रणाली थी जिसमें करदाता अपने स्वयं की विवरणी तैयार करते थे तथा उन्हें विभाग को सौंपते थे। यह प्रणाली केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 तथा वित्त अधिनियम, 1994 सहित राजकोषीय नियमों द्वारा निर्देशित थी। कर विभाग प्राथमिक संवीक्षा तथा विस्तृत संवीक्षा के द्वारा विवरणी की संवीक्षा करता था तथा करदाता द्वारा इस प्रकार जमा किए गए कर की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा करता था।

हमने निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों से संबंधित अभिलेखों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रीय संरचनाओं तथा बोर्ड के कार्यात्मक अनुभाग के अभिलेखों की जाँच की।

6.2 लेखापरीक्षा नमूना

रेंज विभागीय ईकाईयाँ हैं जहाँ निर्धारितियों का पंजीकरण किया जाता है तथा विवरणी जमा की जाती हैं। इसीलिए, रेंज पंजीकरण के सत्यापन, विवरणी की संवीक्षा, राजस्व संग्रहण की जाँच आदि के लिए उत्तरदायी है। डिवीजन तथा कमिश्नरी क्रमशः रेंज तथा डिवीजन के कार्यों की निगरानी करने वाली निगरानी ईकाईयाँ है। वि.व. 19 तथा वि.व. 20 के दौरान, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर के संबंध में राजस्व संग्रहण के प्रशासन के लिए स्थापित प्रणाली तथा प्रक्रियाओं की प्रभाविकता की जाँच के लिए, हमने नीचे दर्शाये गए अनुसार कमिश्नरी, डिवीजन तथा रेंजों की नमूना ईकाईयाँ का चयन किया:

चार्ट 6.1: लेखापरीक्षा समष्टि तथा नमूना



वि.व. 19 के दौरान, 827 चयनित रेंजों में, हमने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के निर्धारण और भुगतान के संबंध में विस्तृत जाँच के लिए 2,939 निर्धारितियों के अभिलेखों का चयन किया। वि.व. 20 के दौरान, 451 चयनित रेंजों में, हमने विस्तृत जाँच के लिए 1,471 निर्धारितियों के अभिलेखों का चयन किया। लेखापरीक्षा तथा लेखा विनियमन (संशोधन) 2020 के अनुसार तथा भारत के नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के महानिदेशक (डीजी)/प्रधान निदेशक (पीडी) की अध्यक्षता वाले हमारे नौ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा की गई।

6.3 लेखापरीक्षा अभियुक्तियों का विहंगावलोकन

वि.व. 19 तथा वि.व. 20 के दौरान लेखापरीक्षित किए गए कुल 4,410 निर्धारितियों के अभिलेखों में से, हमने 1,562 निर्धारितियों (35.42 प्रतिशत) के संबंध में कर कानूनों तथा नियमों का अननुपालन पाया। हमने ₹ 1,036.35 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाली 2,712 लेखापरीक्षा

अभियुक्तियां उठाई। ₹ 1,011.77 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाली 494 अभियुक्तियों में, प्रत्येक मामले में मौद्रिक मूल्य ₹ 10 लाख या अधिक था।

2,712 लेखापरीक्षा अभियुक्तियों में से, विभाग ने 1,669 अभियुक्तियों (61.54 प्रतिशत) के संबंध में उत्तर प्रस्तुत किए, जिसमें से 1,141 अभियुक्तियों (68.36 प्रतिशत) को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया। 841 अभियुक्तियों (50.39 प्रतिशत) में, विभाग द्वारा एससीएन जारी कर या राशि की वसूली कर कार्यवाई की गई।

4,410 निर्धारितियों, जिनके अभिलेखों की हमारे द्वारा जाँच की गई, में से 1,244 निर्धारितियों को विभाग के आन्तरिक लेखापरीक्षा अनुभाग द्वारा पहले ही लेखापरीक्षित किया जा चुका था। हमने पाया कि आन्तरिक लेखापरीक्षा 594 निर्धारितियों (47.75 प्रतिशत) से संबंधित ₹ 420.39 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाले 1,104 मामलों में चूक का पता लगाने में विफल रही।


शेष 3,166 निर्धारितियों में से, जो आन्तरिक लेखापरीक्षा के अध्यक्षीन नहीं थे, हमने 968 निर्धारितियों (30.57 प्रतिशत) से संबंधित ₹ 615.96 करोड़ की मौद्रिक प्रभाव वाली 1,608 अभियुक्तियों को देखा।

लेखापरीक्षा अभियुक्तियों का मामलेवार सक्षिप्त विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका संख्या 6.1: वि.व. 19 तथा वि.व. 20 के दौरान पाई गई लेखापरीक्षा अभियुक्तियां

अभियुक्तियों की श्रेणी	अभियुक्तियों की उप-श्रेणी	अभियुक्तियों की कुल संख्या	राशि (करोड़ में)	₹ 10 लाख या अधिक के मौद्रिक प्रभाव वाली अभियुक्तियों की संख्या	राशि (करोड़ में)
शुल्क/कर का भुगतान न करना	गलत छूट	49	57.01	16	56.39
	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म	155	15.43	23	14.08
	अन्य	401	178.22	86	173.72
शुल्क/कर का कम भुगतान	गलत निर्धार्य योग्य मूल्य	65	73.39	23	72.72
	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म	96	12.64	17	11.71
	गलत छूट	25	6.98	12	6.54
	संबंधित पार्टी लेनदेन	11	3.86	2	3.81
	अन्य	321	62.63	72	58.79
सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ/उपयोग		499	195.54	101	190.10
सेनवैट क्रेडिट की वापसी न होना/ कम वापसी	शुल्कयोग्य और छूट प्राप्त वस्तुओं के लिए अलग-अलग खातों का रखरखाव न करना	60	54.19	20	53.23
	अन्य	81	35.35	13	34.73
उपकर का भुगतान न होना		57	42.82	10	42.52
ब्याज का भुगतान न होना		236	49.99	42	48.14
अन्य		656	248.30	57	245.29
	कुल	2,712	1,036.35	494	1,011.77

लेखापरीक्षा अभियुक्तियों की प्रकृति तथा मौद्रिक मूल्य के संदर्भ में उनका अनुपात चार्ट 6.2 में चित्रित किया गया है।



कर का भुगतान न होना/कम भुगतान, वि.व. 19 तथा वि.व. 20 के दौरान, लेखापरीक्षा आपत्तियों के कुल मौद्रिक मूल्य का 39 प्रतिशत था। सेनवेट क्रेडिट का वापस न होना/कम वापसी तथा गलत लाभ/उपयोग लेखापरीक्षा आपत्तियों के कुल मौद्रिक मूल्य का 28 प्रतिशत था।

हमने ₹ 472.30 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाली 146 महत्वपूर्ण अभियुक्तियों⁹⁵ टिप्पणियों के लिए मंत्रालय को जारी की, जैसा कि तालिका 6.2 में विवरण दिया गया है। अभियुक्तियों का ब्योरा परिशिष्ट-VIII में दिया गया है।

तालिका संख्या 6.2: मंत्रालय को जारी महत्वपूर्ण अभियुक्तियाँ

शुल्क/कर	जारी अभियुक्तियाँ		स्वीकृत अभियुक्तियाँ		वसूल की गई राशि	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	42	93.80	23	15.17	9	6.74
सेवा कर	104	378.50	66	280.61	50	19.01
जोड़	146	472.30	89	295.78	59	25.75

मंत्रालय ने ₹ 288.45 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाली 76 अभियुक्तियों को स्वीकार किया। इन 76 अभियुक्तियों में से, 74 मामलों में, मंत्रालय ने एससीएन को जारी/पुष्टि करके या राशि की वसूली कर सुधारात्मक कार्यवाई शुरू की/पूरी की। दो मामलों में, सुधारात्मक कार्यवाई अभी शुरू की जानी है।

⁹⁵ मंत्रालय को जारी अभियुक्तियों में प्रणालीगत मामले या उच्च मौद्रिक मूल्य शामिल था।

₹ 7.33 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाली 13 अभियुक्तियों में, मंत्रालय ने राजस्व निहितार्थ स्वीकार किया परन्तु विभागीय चूक को स्वीकार नहीं किया था। मंत्रालय ने ₹ 8.82 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाली दस अभियुक्तियों को स्वीकार नहीं किया। ₹ 167.70 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाली 47 अभियुक्तियों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2020)।

कुछ लेखापरीक्षा अभियुक्तियों पर अगले पैराग्राफों में चर्चा की गई है-

6.4 निर्धारितियों की चूकें जिनका विभाग द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा के बावजूद पता नहीं लगाया गया

आंतरिक लेखापरीक्षा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर कानूनों के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रकाश में निर्धारितियों द्वारा अनुपालन के स्तर को मापने में मदद करती है। बोर्ड ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका, 2015 (सीईएसटीएएम, 2015) के रूप में आंतरिक लेखापरीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया जारी की थी।

अक्टूबर 2014 में विभाग के पुनर्गठन के बाद, महानिदेशक (लेखापरीक्षा) द्वारा किए गए केन्द्रीयकृत जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षणीय ईकाइयों को तीन श्रेणियों अर्थात् बड़ी, मध्यम तथा छोटी ईकाइयों में पुनः संगठित किया गया है। लेखापरीक्षा कमिश्नरी के पास उपलब्ध श्रमबल बड़ी, मध्यम तथा छोटी ईकाइयों में क्रमशः 40:25:15 के अनुपात में आवंटित किया गया है तथा शेष 20 प्रतिशत श्रमबल का योजना, समन्वय तथा अनुवर्ती कार्यवाही के लिए उपयोग किया जाता है।

जैसा कि पैरा 6.3 में बताया गया है, 4,410 निर्धारितियों, जिनके अभिलेखों की हमारे द्वारा जांच की गई है, में से 1,244 निर्धारितियों की विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग द्वारा पहले ही लेखापरीक्षा की जा चुकी थी। हमने पाया कि 594 निर्धारितियों (47.75 प्रतिशत) से सम्बन्धित ₹ 420.39 करोड़ के मौद्रिक प्रभाव वाले 1,104 दृष्टांतों में, आंतरिक लेखापरीक्षा चूकों का पता लगाने में विफल रही।

हमने मंत्रालय को ₹ 255.32 करोड़ के राजस्व वाले 30 ड्राफ्ट पैराग्राफ जारी किए, जहाँ आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रणाली में अपर्याप्तता के कारण,

करदाताओं द्वारा अनुपालन न करने के कारण का पता नहीं चला, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

तालिका सं. 6.3: निर्धारितियों की चूकें जिनका विभाग द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा के बावजूद पता नहीं चला

अभियुक्तियों की श्रेणी	अभियुक्तियों की कुल संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
शुल्क/कर का भुगतान न होना	9	16.21
शुल्क/कर का कम भुगतान	8	11.18
सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ उठाना/उपयोग करना	6	190.25
सेनवैट क्रेडिट की वापसी न होना/कम वापसी	5	37.15
कर का भुगतान न होना	2	0.53
जोड़	30	255.32

कुछ निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

6.4.1 घोषित सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न करना - आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पता न लगा पाना

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66ई(ई) में निर्धारित किया गया था अधिनियम कि कार्य या स्थिति को सहन करने के लिए बाध्य होने की सहमति एक कर योग्य सेवा है। किसी मूल्य के लिए उक्त बाध्यता के प्रति सहमत व्यक्ति धारा 66बी के तहत सेवा कर भुगतान के लिए दायी है।

बेलागवी कमिश्नरी की होसपेट 'सी' रेंज के अन्तर्गत आने वाले निर्धारितियों के सेवा कर तथा वित्तीय अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, हमने एक निर्धारिती द्वारा सेवा कर का भुगतान न होना पाया। निर्धारिती (जॉब वर्कर) ने अपने ग्राहक (प्रधान विनिर्माता) के लिए जाब वर्क के लिए एक करार किया था। करार की शर्तों के अनुसार, प्रधान विनिर्माता जॉब वर्कर की पूरी क्षमता के उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में इनपुट भेजने पर सहमत हुआ, जैसी कि सहमति हुई थी, प्रधान विनिर्माता के पर्याप्त मात्रा में इनपुट भेजने में विफल रहने से, जॉब वर्कर ने करार में निर्दिष्ट मुआवजा प्रभारित किया। यह मुआवजा इस स्थिति को सहन करने के प्रतिफल के रूप में होता है, जहाँ जॉब वर्कर जॉब वर्क के लिए पूरी क्षमता का उपयोग करने में समर्थ नहीं है तथा

इसे कर योग्य सेवा समझा जाना चाहिये। हालांकि, यह पाया गया कि निर्धारिती ने प्रधान विनिर्माता से वसूल किए गए ऐसे मुआवजे पर वि.व. 16 तथा वि.व. 17 के दौरान ₹ 4.22 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया।

विभाग द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा, निर्धारिती के अभिलेखों से सेवा कर के भुगतान न होने का पता लगाने में विफल रही, जिसके कारण सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने तक त्रुटि का पता नहीं चला।

हमारे द्वारा इसके बारे में बताए जाने पर, (फरवरी 2020), कमिश्नरी ने इस आधार पर लेखापरीक्षा अभियुक्तियों का विरोध किया कि भुगतान की गई राशि केवल मुआवजा थी तथा किसी कार्य को छूट या माफ करने की प्रकृति में किसी सेवा के लिए प्रतिफल नहीं थी। विभाग ने भयाना बिल्डर्स (प्रा) लिमिटेड के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि प्रभारित राशि तथा प्रदान की गई सेवा के बीच तालमेल होना चाहिए। कोई प्रभारित राशि जिसका कर योग्य सेवा के साथ कोई तालमेल नहीं है, वह उस मूल्य का हिस्सा नहीं बनता है जो वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 67 के तहत कर योग्य है। कमिश्नरी ने आगे कहा कि सीईएसटीएटी (कलकत्ता ब्रांच) ने अमित मेटालिक्स लिमिटेड तथा अन्य के मामले में, यह माना था कि माल की बिक्री पर चूक के लिए प्राप्त मुआवजे या निर्णीत हर्जाने की मुआवजा राशि को वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ई(ई) के तहत सेवा के रूप में नहीं माना जा सकता है।

कमिश्नरी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि, जब भी प्रधान विनिर्माता इनपुट की पर्याप्त मात्रा प्रदान करने में विफल रहे, जॉब वर्क के लिए करार में राशि एकत्र करने के लिए विशेष खंड है। इस प्रकार करार में उक्त स्थिति में छूट के लिए एक प्रतिफल निर्धारित किया गया है। इसीलिए, सेवा तथा प्रतिफल के बीच एक अंतर्निहित तालमेल है, जैसा कि भयाना बिल्डर्स (प्रा) लिमिटेड के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया। इसके अलावा, सीईएसटीएटी (कलकत्ता ब्रांच) द्वारा अमित मेटालिक्स लिमिटेड तथा अन्य के मामले में लिया गया निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं है क्योंकि यह मामला माल की बिक्री पर चूक के लिए मुआवजे से संबंधित था जबकि वर्तमान मामले में मुआवजा खंड करार में पूर्व निर्धारित है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

6.4.2 पूंजीगत माल की बिक्री पर उत्पाद शुल्क का भुगतान न होना - आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पता न लगा पाना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3 के अन्तर्गत उप-नियम (5ए)(ए)(ii) के अनुसार, यदि पूंजीगत माल, जिन पर सेनवैट क्रेडिट लिया गया है, को उपयोग के बाद निकासित किया गया है, तो आउटपुट सेवा के विनिर्माता या प्रदाता को उक्त पूंजीगत माल पर स्ट्रेट लाइन विधि द्वारा गणना किए गए प्रतिशतता अंकों तक कम किए गए, लिए गए सेनवैट क्रेडिट की राशि के बराबर भुगतान करना होगा जैसा कि सेनवैट क्रेडिट के लेने की तिथि से एक वर्ष की प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए निर्दिष्ट किया गया है। बशर्ते, यदि इस प्रकार गणना की गई राशि, लेनदेन मूल्य पर उद्ग्राह्य शुल्क के बराबर राशि से कम है, भुगतान की जाने वाली राशि लेनदेन मूल्य पर उद्ग्राह्य शुल्क के बराबर होगी।

चेन्नई दक्षिण कमीशनरी की रेंज IV के अंतर्गत आनेवाले निर्धारितियों के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा वित्तीय अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान हमने एक निर्धारिती द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान न होना पाया। निर्धारिती ने वि.व. 15 से वि.व. 18 की अवधि के दौरान ₹ 6.03 करोड़ के मूल्य के आयातित सिनेमा प्रोजेक्टर तथा उनके सहायक सामान को बेच दिया। निर्धारिती ने इन वस्तुओं के आयात पर भुगतान किए गए प्रतिकारी शुल्क पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाया था, परन्तु इन वस्तुओं की बिक्री पर ₹ 75.27 लाख के लागू केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं किया था, जिसे लागू ब्याज के साथ वसूल किया जाना आवश्यक था।

विभाग ने वि.व. 15 से वि.व. 16 की अवधि के लिए अप्रैल 2016 में निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा की परन्तु उसे चूक का पता नहीं चला।

इसके बारे में बताए जाने पर, (अप्रैल 2018), मंत्रालय ने अभियुक्त को स्वीकार किया तथा कहा (मार्च 2020) कि भुगतान/वापसी के लिए देय राशि की ₹ 76.19 लाख की गणना की गई थी। निर्धारिती ने ₹ 25.77 लाख के

ब्याज के साथ राशि का भुगतान किया। मंत्रालय ने आगे कहा कि संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण माँगा जा रहा था।

6.4.3 प्राप्त किए गए अग्रिम पर सेवा कर का कम भुगतान-आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पता न लगा पाना

कराधान बिंदू नियमावली, 2011 का नियम 3 निर्धारित करता है कि कर योग्य सेवाओं के लिए कराधान का बिंदु वह समय होगा जब प्रदान की गई या प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए बीजक जारी किए गए हैं। यदि बीजक जारी करने से पहले सेवाओं के लिए अग्रिम प्राप्त होता है, तो कराधान का बिंदु वह समय होगा जब ऐसे अग्रिम प्राप्त होते हैं।

बेंगलुरु ईस्ट कमिश्नरी की डीईडी-1 रेंज के अंतर्गत आने वाले निर्धारितियों के सेवा कर तथा वित्तीय अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने एक निर्धारिती द्वारा सेवा कर का कम भुगतान पाया। निर्माण गतिविधियों में लगे हुए सेवा प्रदाता निर्धारिती ने परियोजना के अपने ग्राहको से अग्रिम प्राप्त किए थे परन्तु इसने अपने एसटी-3 विवरणी में प्राप्त अग्रिम के मूल्य को कम घोषित किया। इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2014 से जून 2017 की अवधि के लिए ₹ 1.13 करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

विभाग ने मार्च 2015 तक की अवधि को कवर करते हुए निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा (अगस्त - सितम्बर 2015) की परन्तु इसमें चूक का पता नहीं चला।

इस बारे में बताए जाने पर (मार्च 2019), मंत्रालय ने अभियुक्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2020) तथा बताया कि ₹ 1.13 करोड़ के सेवा कर की मांग करते हुए एक एससीएन जारी किया गया था।

6.4.4 लेन-देन में माल भाड़ा राशि शामिल न करने के कारण शुल्क का कम भुगतान-आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पता न लगा पाना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल की कीमत का निर्धारण) के नियम 5 के नीचे स्पष्टीकरण-11 में स्पष्ट किया गया था कि यदि फैक्टरी माल निकासी की जगह नहीं हैं, तो फैक्टरी से लेकर हटाने की जगह जैसे डिपो, परेषण एजेंट परिसर आदि तक उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य के

निर्धारण के प्रयोजनार्थ परिवहन की लागत को छोड़ा नहीं जा सकता है। बोर्ड के परिपत्र संख्या 988/12/2014-सीएक्स दिनांक 20 अक्टूबर 2014 में यह भी निर्धारित था कि जिस स्थान पर बिक्री की गई है या जहां माल में संपत्ति विक्रेता से खरीददार को स्थानांतरित की जाती है, हटाने की जगह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक स्थान है।

दमन कमीशनरी की रेंज III के अंतर्गत आने वाले निर्धारितियों के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा वित्तीय अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान हमने एक निर्धारिती द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान पाया। निर्धारिती ने अपने ग्राहकों से ₹ 51.51 करोड़ के मालभाड़े की वसूली (अप्रैल 2013 से जून 2017) की थी जिसे उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य का निर्धारण करते समय लेनदेन मूल्य में शामिल नहीं किया गया था। निर्धारिती के एक खरीददार के करार दस्तावेजों के निबंधन तथा शर्तें यह दर्शाते थे कि निर्धारिती, खरीददार के स्टोर पर माल की सुपुर्दगी के लिए उत्तरदायी था। इसीलिए, इस मामले में खरीददार का स्टोर निकासी की जगह थी तथा भाड़ा प्रभारों को उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य निर्धारण के लिए शामिल किया जाना था। निर्धारिती ने निर्धार्य मूल्य में भाड़ा प्रभारों को शामिल नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.29 करोड़ के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कम भुगतान हुआ जिसे लागू ब्याज के साथ वसूल किया जाना था।

विभाग द्वारा फरवरी-मार्च 2016 में सितम्बर 2015 तक की अवधि के लिए निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई परन्तु उसे चूक का पता नहीं चला। इस बारे में बताए जाने पर (अक्टूबर 2018), विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार किया (अप्रैल 2019) तथा बताया कि जनवरी 2014 से जून 2017 की अवधि के लिए ₹ 6.83 करोड़ के एससीएन निर्धारिती को जारी किए गए थे। एससीएन में अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2013 तक की अवधि छोड़े जाने तथा आंतरिक लेखापरीक्षा विफल होने पर उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2020)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

6.4.5 गैर-कर योग्य सेवा पर भुगतान किए गए सेवाकर पर सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ-आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पता नहीं लगा पाना

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65बी(51) के अनुसार, “कर योग्य सेवा” का अर्थ उस सेवा से है जिस पर धारा 66बी के अन्तर्गत सेवा कर उद्ग्राह्य है। उक्त अधिनियम की धारा 65बी(44) के अनुसार, ‘सेवा’ की परिभाषा किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे के लिए, प्रतिफल के लिए की गई गतिविधि है तथा इसमें एक घोषित सेवा शामिल है।

नियम 2(i) के अनुसार, “इनपुट सेवा” का अर्थ है एक आउटपुट सेवा प्रदाता द्वारा आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली या विनिर्माता द्वारा उपयोग की गई कोई सेवा, जो चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम उत्पाद के विनिर्माण तथा हटाने की जगह तक अंतिम उत्पादों की निकासी के सम्बन्ध में हों।

भुवनेश्वर कमिश्नरी की पारादीप-1 रेंज के अंतर्गत आने वाले निर्धारितियों के सेवा कर तथा वित्तीय अभिलेखों की जाँच के पैरान हमने एक निर्धारिती द्वारा सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना पाया। हाई स्पीड डीजल ऑयल, मोटर स्पिरिट, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस तथा सुपिरियर केरोसिन ऑयल के विनिर्माण में लगे निर्धारिती ने वि.व. 16 तथा वि.व. 17 के दौरान ₹ 129.51 करोड़ की राशि के अपने एक सेवा प्रदाता द्वारा जारी किए गए बीजकों पर सेनवैट क्रेडिट को प्राप्त किया था। निर्धारिती तथा सेवा प्रदाता के बीच करार के अनुसार तीन घटकों के संबंध में भुगतान किया गया (i) पूर्ण टैंकेज सुविधाओं के लिए स्थायी पूंजीगत निवेश पर प्रतिफल के लिए मासिक स्थायी प्रभार (ii) पूर्ण टैंकेज सुविधाओं के संचालन के लिए मासिक प्रभार (iii) पूर्ण टैंकेज सुविधाओं के रखरखाव के लिए मासिक प्रभार। सेवा प्रदाता इन सभी घटकों पर सेवा कर प्रभारित कर रहा था। उक्त नियमों के अनुसार, स्थायी पूंजीगत निवेश पर प्रतिफल के लिए मासिक स्थायी प्रभार पर ₹ 123.21 करोड़ के क्रेडिट का उठाया गया लाभ अनियमित था, क्योंकि यह स्थायी पूंजीगत निवेश पर प्रतिफल था न कि सेवा।

इसी प्रकार वि.व. 16 तथा वि.व. 17 के दौरान निर्धारिती ने इस संबंध में किए गए भुगतान के लिए ₹ 400.01 करोड़ की राशि के अन्य सेवा प्रदाता द्वारा

जारी किए गए बीजकों पर इनपुट सेवा क्रेडिट का लाभ उठाया, (i) महानदी नदी से पारादीप तक इनटेक स्ट्रक्चर से पानी की निकासी के लिए पूंजी पर प्रतिफल के लिए मासिक स्थायी प्रभार और (ii) पाइपलाइन से पानी के निर्वासन के लिए मासिक प्रभार। पूंजी पर प्रतिफल के लिए मासिक स्थायी प्रभारों पर उठाया गया ₹ 32.50 करोड़ के क्रेडिट का लाभ अनियमित था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 155.71 करोड़ को राशि की गैर-कर योग्य सेवा पर भुगतान किए गए सेवा कर पर सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाया गया।

विभाग द्वारा वि.व. 16 तक की अवधि के लिए निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई, परन्तु वह इन चूकों का पता नहीं लगा पाया।

हमारे द्वारा इसके बारे में बताए जाने पर (फरवरी 2019), मंत्रालय ने अभियुक्ति को स्वीकार किया (नवम्बर 2020) तथा बताया कि जून 2017 की अवधि तक ₹ 183.37 करोड़ के लिए एक कारण बताओं नोटिस जून 2020 में जारी किया गया था।

6.4.6 सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना - आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पता न लगाया जाना।

नियम 2(i) के अनुसार, “इनपुट सेवा” का अर्थ है एक आउटपुट सेवा प्रदाता द्वारा आउटपुट सेवा प्रदान करने के लिए उपयोग की जाने वाली या विनिर्माता द्वारा उपयोग की गई कोई सेवा जो चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतिम उत्पाद के विनिर्माण तथा हटाने की जगह तक अंतिम उत्पादों की निकासी के सम्बन्ध में हो।

इसके अलावा सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 का नियम 7 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (आईएसडी) द्वारा क्रेडिट के वितरण के तरीके को निर्धारित करता है, जिसके उप-नियम (सी) के अनुसार, किसी ईकाई द्वारा पूर्ण रूप से उपयोग की गई सेवा का क्रेडिट केवल उसी ईकाई को वितरित किया जायेगा।

दमन कमिश्नरी की रैंज III के अंतर्गत आने वाले निर्धारितियों के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा वित्तीय अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, हमने एक निर्धारिती द्वारा सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना पाया। निर्धारिती,

जो अध्याय टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 27101990 (अर्थात, लाईट लिक्विड पैराफिन, व्हाइट ऑयल, ट्रांसफार्मर ऑयल) के अन्तर्गत आने वाली उत्पादों का निर्माता है, ने वि.व. 14 से वि.व. 18 की अवधि के दौरान इसके मुख्य कार्यालय, मुम्बई में स्थापित इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (आईएसडी), द्वारा वितरित बौद्धिक संपदा सेवाओं (रायल्टी) पर ₹ 6.06 करोड़ (उपकर सहित) के सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाया था। हमने पाया कि आईएसडी ने अपने ब्रांड नाम के अंतर्गत, अपनी इकाईयों से विनिर्मित ल्यूब्रीकैण्टस (सीटीएच 27101980 के अंतर्गत आने वाले) को बेचने के लिए निर्धारिती के अलावा विभिन्न ऑटो सैक्टर की कम्पनियों को रायल्टी का भुगतान किया था। आईएसडी ने इस रायल्टी पर भुगतान किए गए सेवा कर के क्रेडिट का लाभ उठाया था तथा टर्नओवर के अनुपात में, उपरोक्त निर्धारिती सहित जो ल्यूब्रीकैण्ट के विनिर्माण में शामिल नहीं था, अपनी इकाईयों में वितरित किया था। क्योंकि निर्धारिती ल्यूब्रीकेटिंग ऑयल के विनिर्माण में नहीं लगा हुआ था, इसीलिए ल्यूब्रीकैण्ट से संबंधित सेवाओं के लिए निर्धारिती द्वारा ₹ 6.06 करोड़ के क्रेडिट का लाभ उठाना उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार गलत था, तथा इस राशि को लागू ब्याज के साथ वूसला जाना आवश्यक था।

विभाग द्वारा फरवरी-मार्च 2016 में सितम्बर 2015 तक की अवधि के लिए निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई परन्तु चूक का पता नहीं लगा।

इस बारे में बताए जाने पर (अक्टूबर 2018), विभाग ने लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार किया (अप्रैल 2019) तथा सूचित किया कि निर्धारिती को एससीएन जारी किया जा रहा था। आंतरिक लेखापरीक्षा की चूक पर उत्तर प्रतिक्रित था (अगस्त 2019)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्रित है (दिसम्बर 2020)।

6.4.7 सेनवैट क्रेडिट की कम वापसी को पता लगाने में आंतरिक लेखापरीक्षा की विफलता तथा लेखापरीक्षा अभियुक्ति पर समय रहते कार्यवाई न करने के परिणामस्वरूप आंशिक माँग का समय बाधित होना - आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा पता न लगा पाना

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66बी के साथ पठित धारा 66डी(ई) के अंतर्गत सेवाओं की नकारात्मक सूची में शामिल होने के कारण ट्रेडिंग एक गैर-

कर योग्य सेवा है तथा सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(ई) के अंतर्गत एक 'छूट प्राप्त सेवा' के रूप में आती है। आउटपुट सेवा प्रदाता को, कर योग्य तथा छूट प्राप्त, दोनो सेवाओं के प्रावधान के लिए इनपुट/इनपुट सेवाओं की प्राप्ति तथा उपयोग के लिए अलग-अलग खाते नहीं रखने का विकल्प चुनते हुए, सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3) या 6(3ए) के अंतर्गत किसी एक तरीके का चयन करके छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान के लिए उपयोग की जाने वाली इनपुट सेवाओं से संबंधित सेनवैट क्रेडिट के हिस्से को वापस करना है।

इसके अलावा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए में साधारण मामले में, संबंधित दिनांक से दो वर्ष के अन्दर तथा धोखाधड़ी, मिलीभगत, जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों के छुपाने के मामले में पाँच वर्ष के अंदर कारण बताओं नोटिस (एससीएन) जारी करने का प्रावधान किया गया है।

बेंगलुरु नार्थ कमिश्नरी की रेंज एएनडी-1 के अंतर्गत निर्धारितियों के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा वित्तीय अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, हमने एक निर्धारिती द्वारा सेनवैट क्रेडिट की कम वापसी पाई। निर्धारिती विभिन्न वस्तुओं के विनिर्माण तथा विभिन्न कर योग्य सेवाओं के प्रदान के साथ, माल की ट्रेडिंग में भी, जो एक छूट प्राप्त सेवा है, लगा हुआ था। निर्धारिती ने, छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान, कर योग्य सेवाओं के प्रावधान तथा उत्पाद शुल्क योग्य माल के विनिर्माण के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली इनपुट सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाया। निर्धारिती के सेनवैट क्रेडिट अभिलेखों के सत्यापन से पता चला कि भले ही निर्धारिती ने अलग-अलग खातों को नहीं रखने के लिए सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 6(3ए) के अन्तर्गत राशि के भुगतान के लिए विकल्प चुना, लेकिन वि.व. 14 से वि.व. 16 की अवधि के दौरान निर्धारिती ने ₹ 34.84 करोड़ के सेनवैट क्रेडिट की कम वापसी की थी।

विभाग ने वि.व. 16 की अवधि कवर करते हुए, निर्धारिती की आन्तरिक लेखापरीक्षा की थी (सितम्बर 2017), परन्तु विभाग इस चूक का पता नहीं लगा सका।

हमारे द्वारा इसके बारे में बताए जाने पर (अप्रैल 2018), विभाग ने वि.व. 15 से वि.व. 17 के लिए ₹ 28.13 करोड़ का एक एससीएन निर्धारिती को जारी किया था (अक्टूबर 2019), परन्तु वि.व. 14 से संबंधित ₹ 6.71 करोड़ की माँग को शामिल नहीं किया था।

अप्रैल 2018 में सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा आपत्ति इंगित किये जाने के बावजूद, विभाग ने एससीएन जारी करने में डेढ़ साल का समय लिया। एससीएन जारी करने के समय तक, वि.व. 14 के लिए माँग, समय-बाधित हो गई। इसीलिए, वि.व. 14 में कम भुगतान की गई राशि वसूली न करने योग्य हो गई। यदि विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति प्राप्त होने के समय ही एससीएन जारी कर दिया होता, तो वि.व. 14 से संबंधित राशि एससीएन में शामिल हो गई होती। इसलिए, लेखापरीक्षा आपत्ति पर विभाग द्वारा समय रहते कार्रवाई न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 6.71 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

6.4.8 ब्याज का भुगतान न होना - आंतरिक लेखापरीक्षा में पता न लगा पाना

कराधान बिंदु नियमावली 2011 के नियम 7 के अनुसार, सेवा के प्राप्तकर्ताओं के रूप में कर का भुगतान करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों के संबंध में “कराधान का बिंदु” वह तिथि होगी जिस पर भुगतान किया जाता है। जहाँ बीजक की तिथि के तीन महीने की अवधि में भुगतान नहीं किया गया है, कराधान का बिन्दु तीन महीने की उक्त अवधि के तुरंत बाद की तिथि होगी। इसके अलावा, सेवा कर नियमावली, 1994 का नियम 6 यह निर्दिष्ट करता है कि सेवा कर का भुगतान उस महीने की 6 तारीख तक किया जाना है, जिसमें सेवा प्रदान की गई है। मार्च माह के भुगतान के संबंध में, भुगतान की नियत तिथि इसी माह की 31 तारीख है। वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 75 में सेवा कर के देर से भुगतान पर ब्याज का भुगतान निर्धारित किया गया है।

बेंगलुरु ईस्ट कमिश्नरी की एईडी-5 रेंज के अंतर्गत आने वाले निर्धारितियों के सेवा कर तथा वित्तीय अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, हमने दो निर्धारितियों द्वारा सेवा कर के देर से भुगतान पर ब्याज का भुगतान न होना

पाया। पहले निर्धारिती ने कराधान बिंदु नियमावली, 2011 के नियम 7 के अंतर्गत अप्रैल 2013 से जून 2017 की अवधि के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत भारत के बाहर से प्राप्त सेवाओं पर देर से सेवा कर का भुगतान किया था। हालांकि, निर्धारिती ने विलंबित रूप से किये गये सेवा कर भुगतान पर ₹ 28.46 लाख के ब्याज का भुगतान नहीं किया था।

दूसरे निर्धारिती ने अप्रैल 2015 से जून 2017 के अवधि के लिए सेवा कर नियमावली 1994, के नियम 6 के अंतर्गत सेवा कर के देर से भुगतान के लिए ₹ 28.77 लाख के ब्याज का भुगतान नहीं किया था। इन दो निर्धारितियों द्वारा ब्याज का कुल कम-भुगतान ₹ 57.23 लाख था।

विभाग द्वारा मार्च 2014 की अवधि को कवर करते हुये पहले निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी (मई 2014), परन्तु विभाग इस चूक का पता नहीं लगा पाया। आईएपी की विफलता पर कमिश्नरी का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (जून 2020)।

हमने दूसरे निर्धारिती की आंतरिक लेखापरीक्षा का ब्यौरा देने का अनुरोध किया, परन्तु विभाग द्वारा इसे प्रस्तुत नहीं किया गया।

हमारे द्वारा इसके बारे में बताए जाने पर (दिसम्बर 2018), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2020) तथा कहा कि वसूली योग्य कुल राशि ₹ 42.15 लाख थी। कमिश्नरी ने इन निर्धारितियों से ₹ 27.11 लाख की वसूली की (मार्च 2019 से दिसम्बर 2019) तथा शेष राशि के लिए, पहले निर्धारिती ने एसवीएलडीआरएस योजना के अंतर्गत आवेदन दायर किया, जिसे विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था।

6.5 विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा अनुभाग द्वारा कवर नहीं किए गए निर्धारितियों की चूकें

हमने निर्धारितियों से संबंधित ₹ 136.76 करोड़ के राजस्व वाले 88 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफ जारी किए थे, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है।

तालिका सं. 6.4: आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा कवर न किए गए निर्धारितियों से संबंधित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

आपत्तियाँ की श्रेणी	आपत्तियाँ की कुल संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
शुल्क/कर का भुगतान न होना	29	33.00
शुल्क/कर का कम भुगतान	19	48.73
सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ उठाना/गलत उपयोगिता	14	11.66
सेनवैट क्रेडिट की वापसी न होना/कम वापसी	11	34.99
उपकर का भुगतान न होना/कम भुगतान	1	0.31
ब्याज का भुगतान न होना/कम भुगतान	14	8.07
जोड़	88	136.76

कुछ निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

6.5.1 सेवा कर का भुगतान न होना

वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 65(44), सेवा को किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिफल के लिए किसी अन्य व्यक्ति के लिए की गई किसी भी गतिविधि के रूप में परिभाषित करती है तथा इसमें घोषित सेवा शामिल है परन्तु ऐसे स्थानांतरण, वितरण या माल की आपूर्ति शामिल नहीं है जिसे संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 29ए के अंतर्गत बिक्री माना गया है। माल का उपयोग करने के अधिकार के हस्तांतरण के बिना किराये, लीज, लाइसेंस द्वारा या ऐसे किसी भी तरीके से माल के हस्तांतरण को अधिनियम की धारा 66ई(एफ) के अंतर्गत एक सेवा के रूप में घोषित किया गया है।

बेंगलुरु नार्थ कमिश्नरी की एएनडी-8 रेंज के अंतर्गत आने वाले निर्धारितियों के सेवा कर तथा वित्तीय अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, हमने एक निर्धारिती द्वारा सेवा कर का भुगतान न होना पाया। फ्लाइट कोर्स/ट्रेनिंग सर्विस तथा व्यक्तियों व एयरलाइन कम्पनियों से संबंधित अन्य सेवाएं के प्रावधान से संबंधित, निर्धारिती ने इस आधार पर प्रदान की जाने वाली 'ड्राई

ट्रेनिंग' पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया था कि इसे 'उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण' के रूप में लिया गया था। ड्राई ट्रेनिंग में इंस्ट्रक्टर के बिना घंटे के आधार पर हैण्डस-ऑन ट्रेनिंग के लिए सिम्यूलेटर तथा अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के उपयोग के लिए प्रत्येक एयरलाइन को लाइसेंस प्रदान करना शामिल है। ट्रेनिंग करारों की सामान्य शर्तों के अवलोकन से पता चलता है कि निर्धारिती ने सिम्यूलेटर के प्रभावी नियंत्रण तथा कब्जे को बनाए रखा तथा 'ड्राई ट्रेनिंग' के दौरान उपकरणों के दैनिक संचालन, रखरखाव तथा सहायता के लिए उत्तरदायी था। निर्धारिती ने उसी अवधि के दौरान दूसरे ग्राहकों को अलग घंटों की अवधि में ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए उसी सिम्यूलेटर का उपयोग किया था तथा इसीलिए अपने ग्राहकों को उपयोग के अधिकार को कभी हस्तांतरित नहीं किया। इसीलिए, गतिविधि घोषित सेवा थी तथा सेवा कर के अंतर्गत कर योग्य थी। निर्धारिती ने वि.व. 16 से वि.व. 18 तक के (जून 2017 तक) के लिए ₹ 31.60 करोड़ एकत्र किए, हालांकि, ₹ 4.59 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया था।

हमारे द्वारा इसके बारे में बताए जाने पर (मई 2019), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2020) तथा कहा कि निर्धारिती द्वारा प्रदान किए गए ड्राई ट्रेनिंग सर्विस पर ₹ 5.93 करोड़ की मांग वाला एक कारण बताओ नोटिस वि.व. 15 से वि.व. 18 (जून 2017 तक) के लिए जारी किया गया था।

6.5.2 छूट के अनियमित लाभ उठाने के कारण सेवा कर का कम भुगतान

अधिसूचना संख्या 25/2014 दिनांक 20 जून 2012 के खण्ड 12(एफ) में सरकार, एक स्थानीय प्राधिकरण या एक सरकारी प्राधिकरण को, मुख्य रूप से स्वयं के उपयोग या कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों, जैसा कि अधिनियम की धारा 65बी के खंड 44 के स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट किये गये हैं; भवन निर्माण, उत्पादन, कमीशनिंग, संस्थापना, पूर्णता, फिटिंग, के उपयोग हेतु आवासीय परिसर के परिवर्तन के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं को छूट देने का प्रावधान है।

इसके अलावा, उक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 29 का खंड (एच) उपरोक्त काम के ठेकेदारों के उपठेकेदारों को छूट देता है।

मुम्बई ईस्ट कमिश्नरी की डिवीजन V की रेंज IV के अंतर्गत आने वाले निर्धारितियों के अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक की अवधि के लिए सेवा कर तथा वित्तीय अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने एक निर्धारिती द्वारा सेवा कर का कम भुगतान पाया। निर्धारिती ने महाराष्ट्र के स्लम पुर्नवास प्राधिकरण (एसआरए) द्वारा अनुमोदित निजी डेवलपर्स द्वारा विभिन्न सिविल निर्माण परियोजनाओं के संबंध में उक्त अधिसूचना के क्रम संख्या 29(एच) के अंतर्गत छूट का गलत दावा किया था। निर्धारिती ने जून 2017 तक महाराष्ट्र के एसआरए द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के संबंध में निजी डेवलेपर्स को ₹ 1027.93 करोड़ की सेवाएं प्रदान की थी तथा केवल ₹ 534.52 करोड़ के मूल्य पर कर का भुगतान किया था। निर्धारिती ने ₹ 493.41 करोड़ तक की अनियमित छूट का दावा किया था जिस पर देय कर ₹ 29.60 करोड़ था। इस प्रकार, ₹ 493.41 करोड़ तक की छूट का अनियमित दावा तथा उसकी अनुमति दी गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹29.60 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ था।

हमारे द्वारा इसके बारे में बताए जाने पर (अप्रैल 2018), मंत्रालय ने पैरा स्वीकार किया तथा बताया (मई 2020) कि ₹ 29.60 करोड़ की राशि की वसूली के लिए एक एससीएन जारी किया गया था।

6.5.3 सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली (सीसीआर), 2004 का नियम 4 इनपुट, इनपुट सेवाओं तथा पूंजीगत माल पर सेनवैट क्रेडिट की अनुमति देने के लिए शर्तें प्रदान करता है। सीसीआर के नियम 4(7) के अनुसार, इनपुट सेवा के संबंध में सेनवैट क्रेडिट की अनुमति उस दिन या उसके बाद दी जाएगी, जिस दिन बीजक, बिल या, जैसा भी मामला हो, नियम 9 में संदर्भित चालान प्राप्त होता है।

अप्रैल 2015 से मार्च 2017 तक की अवधि के लिए मुम्बई ईस्ट कमिश्नरी की डिवीजन V के रेंज IV के अंतर्गत आने वाले निर्धारितियों के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा वित्तीय अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, हमने एक निर्धारिती द्वारा सेनवैट क्रेडिट का अनियमित होना पाया। निर्धारिती ने पाँच बीजकों के संबंध में एक ही बीजक पर दो बार सेनवैट क्रेडिट लिया था। इसके अलावा,

निर्धारिती ने, एक बीजक के संबंध में, बीजक की प्रतिलिपि पर अनियमित सेनवैट क्रेडिट लिया, निर्धारिती द्वारा प्राप्त किये गये कुल अनियमित सेनवैट क्रेडिट की राशि ₹ 32.27 लाख थी, जिसे वसूल किया जाना चाहिए था।

हमारे द्वारा इसके बारे में बताए जाने पर (अप्रैल 2018), विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2018) कि निर्धारिती ने ₹ 32.39 लाख का सेवा कर सेनवैट क्रेडिट वापिस कर दिया था।

6.5.4 आईएसडी क्रेडिट का अनियमित वितरण

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी), एक से अधिक ईकाईयों द्वारा उपयोग की जाने वाली सेवा से संबंधित सेवा कर क्रेडिट को, ऐसी ईकाईयों, जो उस वर्ष में चालू हैं, के प्रांसगिक अवधि के दौरान टर्नओवर तथा उसकी सभी इकाईयों के कुल टर्नओवर के अनुपात में वितरित करेगा, इसके अलावा, इसमें प्रावधान है कि किसी विशेष इकाई को इनपुट सेवा के रूप में देय सेवा का क्रेडिट केवल उसी इकाई को वितरित होगा।

गोवा कमिश्नरी की रेंज IV के अधीन आने वाले निर्धारितियों के सेवा कर तथा वित्तीय अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने एक निर्धारिती द्वारा सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ पाया। निर्धारिती के आईएसडी ने वि.व. 16 तथा वि.व. 17 के दौरान क्रमशः ₹ 3.92 करोड़ तथा ₹ 14.78 करोड़ का सेनवैट क्रेडिट लिया तथा निर्धारितियों को क्रमशः ₹ 3.31 करोड़ तथा ₹ 4.83 करोड़ का क्रेडिट वितरण किया गया। सीए प्रमाणपत्र के अनुसार, आईएसडी क्रेडिट के वितरण के उद्देश्य से वि.व. 16 तथा वि.व. 17 के दौरान निर्धारिती का टर्नओवर अनुपात क्रमशः 31.23 प्रतिशत तथा 13.16 प्रतिशत था। इस प्रकार, गोवा ईकाई को वितरित किया जाने वाला आईएसडी क्रेडिट ₹ 3.31 करोड़ तथा ₹ 4.83 करोड़ के प्रति ₹ 1.23 करोड़ (₹ 3.92 करोड़ का 31.23 प्रतिशत) तथा ₹ 1.95 करोड़ (₹ 14.78 करोड़ का 13.16 प्रतिशत) था, इसके परिणामस्वरूप, गोवा ईकाई द्वारा ₹ 2.75 करोड़ का अधिक आईएसडी क्रेडिट प्राप्त किया गया।

हमारे द्वारा इसके बारे में बताए जाने पर (जुलाई 2018), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2020) तथा बताया कि ₹ 3.08 करोड़ की माँग की पुष्टि की गई थी।

6.5.5 प्रदान की गई, छूट प्राप्त सेवाओं के संबंध में सेनवैट क्रेडिट की कम वापसी

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66डी के अंतर्गत, ट्रेडिंग, जो सेवाओं की नकारात्मक सूची में शामिल होने के कारण एक गैर-कर योग्य सेवा है, अधिनियम की धारा 66बी के साथ पठित सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 2(ई) के अंतर्गत एक 'छूट प्राप्त सेवा' के रूप में आती है। आउटपुट सेवा प्रदाता, कर योग्य तथा छूट प्राप्त, दोनों सेवाओं के प्रावधान के लिए इनपुट/इनपुट सेवाओं की प्राप्ति तथा उपयोग के लिए अलग-अलग खाते नहीं रखने का विकल्प चुनते हुए, सेनवैट नियमावली 2004 के नियम 6(3) के अंतर्गत किसी एक तरीके का चयन करके छूट प्राप्त सेवाओं के प्रावधान के लिए उपयोग की जाने वाली इनपुट सेवाओं से संबंधित सेनवैट क्रेडिट के हिस्से को वापस करेगा।

बेंगलुरु ईस्ट कमिश्नरी की बीईडी-5 रेंज के अंतर्गत आने वाले निर्धारितियों के सेवा कर तथा वित्तीय अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, हमने एक निर्धारिती द्वारा छूट प्राप्त सेवाओं के संबंध में सेनवैट क्रेडिट की कम वापसी पाई। एक निर्धारिती, जो कर योग्य सेवाओं के प्रदाता के साथ माल की ट्रेडिंग, जो एक छूट प्राप्त सेवा है, में लिप्त था। निर्धारिती, कर योग्य तथा छूट प्राप्त सेवाओं; दोनों, के प्रावधान के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट प्राप्त कर रहा था तथा प्रत्येक माह लिए गए ऐसे क्रेडिट के एक भाग को वापस कर रहा था सेनवैट क्रेडिट अभिलेखों के सत्यापन से पता चला कि निर्धारिती ने ₹ 32.28 करोड़ की राशि के प्रति केवल ₹ 17.56 करोड़ की वापसी की, जिसे वि.व. 17 के दौरान वापिस किया जाना चाहिए था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 14.72 करोड़ का कम भुगतान हुआ।

इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि निर्धारिती ने मई 2011 में सेनवैट क्रेडिट नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत विकल्प को चुनने लिए अपनी इच्छा विभाग को बताई थी परन्तु बाद के वर्षों के लिए कोई सूचना नहीं दी गई थी।

यद्यपि निर्धारिती अंतिम रूप से वि.व. 17 के दौरान, प्रत्येक माह नियम 6 के अंतर्गत कुछ राशि वापस कर रहा था, फिर भी निर्धारिती ने नियमावली में निर्धारित वास्तविक वापसी के विवरण को प्रस्तुत नहीं किया था। विभाग ने वास्तविक वापसी के सत्यापन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप सीएजी लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने तक सेनवैट क्रेडिट की कम वापसी का पता नहीं लगाया जा सका था। क्या निर्धारिती के एसटी-3 विवरणियों की जानकारी रेंज द्वारा विस्तृत संवीक्षा के अधीन थी, वह सूचना भी उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

हमारे द्वारा इसके बारे में बताए जाने पर (जनवरी 2019), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2020) तथा बताया कि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

6.5.6 सेवा कर के देरी से भुगतान पर ब्याज का भुगतान न होना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 75 परिकल्पित करती है कि जहाँ कोई भी सेवा कर या उसके हिस्से का भुगतान निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं किया गया है, वहाँ कर भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति अधिनियम में निर्दिष्ट दरों पर ब्याज का भुगतान करेगा।

वि.व. 18 तथा वि.व. 19 की अवधि के लिए दिल्ली पश्चिम कमिश्नरी की रेंज 121 के अंतर्गत आने वाले निर्धारितियों के सेवा कर तथा वित्तीय अभिलेखों की जाँच के दौरान, हमने एक निर्धारिती द्वारा सेवा कर की देरी से भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करना पाया। निर्धारिती ने नवम्बर 2016, जनवरी 2017 फरवरी 2017 तथा मई 2017 महीने के लिए सेवा कर के देरी से भुगतान पर ₹ 5.44 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया था।

हमारे द्वारा इसके बारे में बताए जाने पर (दिसम्बर 2019), मंत्रालय ने अभियुक्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2020) तथा बताया कि निर्धारिती ने ₹ 4.82 करोड़ की राशि के देय योग्य वास्तविक ब्याज को जमा करा दिया था।

6.6 वि.व. 19 से पहले लेखापरीक्षा द्वारा आपत्तियां बताई गई अभियुक्तियां जहाँ विभाग द्वारा कार्यवाई लंबित थी

पैरा 6.4, 6.5 तथा 6.7 में वर्णित लेखापरीक्षा आपत्तियों के अतिरिक्त, हमने ₹ 667.71 करोड़ वाली 66 आपत्तियां (परिशिष्ट-IX) जारी की थी, जो वि.व. 19 से पहले की गई सीएजी लेखापरीक्षा के दौरान पाई गई थी। अभियुक्तियाँ शुल्क/कर के गैर/कम भुगतान, सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना/उपयोग तथा ब्याज का गैर/कम भुगतान आदि से संबंधित हैं। ₹ 197.31 करोड़ वाली, 52 अभियुक्तियों में, विभाग द्वारा या तो एससीएन जारी कर या राजस्व की वसूली द्वारा कार्यवाई पूरी की गई थी। ₹ 470.40 करोड़ वाली शेष 14 आपत्तियों के लिए, राजस्व की वसूली के लिए कार्यवाई लंबित थी/प्रक्रिया अधीन थी। मंत्रालय ने ₹ 180.12 करोड़ वाली 45 लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया था तथा ₹ 9.07 करोड़ की वसूली सूचित की थी। मंत्रालय ने ₹ 19.19 करोड़ वाले छः मामलों में आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया था। शेष 15 मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

6.7 विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई चूकें

हमने क्षेत्राधिकारी कमिश्नरी के कार्य में कमियों को दर्शाते हुए ₹ 80.22 करोड़ के राजस्व वाले 28 मामले पाये जैसा कि नीचे वर्णित है।

तालिका संख्या 6.5: विभागीय कार्यों में चूकों को दर्शाने वाली आपत्तियां

आपत्तियों की श्रेणी	आपत्तियों की कुल संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
प्रतिदायों को संसाधित करने में अनियमितताएं	3	1.44
एससीएन जारी/निगरानी करने में अनियमितताएं	6	1.68
कॉल बुक मामलों की अप्रभावशील निगरानी	5	NMV
विलंब फीस/शास्ति का उदग्रहण न होना	4	1.03
अपवचन-रोधी जाँचों का पूरा न होना	2	58.00
कर आधार को व्यापक बनाने संबंधित आपत्तियां	2	11.40
विभागीय अधिकारियों द्वारा समय पर कार्यवाई का अभाव	3	1.63
बकाया की वसूली में अनियमितताएं	3	5.04
जोड़	28	80.22

कुछ निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

6.7.1 एससीएन जारी करते समय कम उद्ग्रहण की गलत गणना तथा उक्त का अधिनिर्णयन

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002, के नियम 5 के अनुसार, किसी उत्पाद शुल्क योग्य माल पर लागू टैरिफ मूल्य के शुल्क की दर, उस तिथि की दर या मूल्य होगी जब ऐसा माल एक फैक्टरी या एक गोदाम, जैसा भी मामला हो, से हटाया गया है, अधिसूचना सं. सीई 18/2012 दिनांक 17 मार्च 2012 के अनुसार, 17 मार्च 2012 से मूल उत्पाद शुल्क को 10 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था।

नासिक कमिश्नरी के नासिक I डिवीजन में एससीएन तथा अधिनिर्णयन से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, हमने सतपुर रेंज में पंजीकृत एक निर्धारिती के मामले में पाया कि विभाग ने वि.व. 11 से वि.व. 15 की अवधि के लिए कम भुगतान की वसूली के लिए एससीएन जारी किया, जिसमें 17 मार्च 2012 से 31 मार्च 2012 तक की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क की गणना 12 प्रतिशत दर, जो उपरोक्त अधिसूचना के अंतर्गत आवश्यक था, के बजाय 10 प्रतिशत दर पर की गई थी, इसके परिणामस्वरूप लागू ब्याज सहित ₹ 29.14 लाख के उत्पाद शुल्क का कम भुगतान हुआ।

हमारे द्वारा इस के बारे में बताए जाने पर (जुलाई 2018), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2020) तथा बताया कि लिपिकीय गणना संबंधी भूल के कारण गलती हुई थी तथा निर्धारिती ने ₹29.14 लाख की राशि के ब्याज सहित अंतरीय देयता को स्वीकार किया। हालांकि, निर्धारिती ने पहले ही मूल-आदेश के खिलाफ सीईएसटीएटी में अपील फाइल की हुई थी तथा अंतरीय शुल्क तथा ब्याज की वसूली सीईएसटीएटी में अपील के परिणाम पर आधारित होगी।

6.7.2 विभाग द्वारा जाँच पड़ताल की पहल करने/पूरा करने में देरी

सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा व्यावसायिक सत्वों को प्रदान की जाने वाली कोई सेवा 1 अप्रैल 2016 से वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66डी(ए)(iv) के साथ पठित धारा 66बी के अंतर्गत सेवा कर के लिए उत्तरदायी है। सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी भी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने के अधिकार के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जहां उपयोग करने का ऐसा अधिकार सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा 1 अप्रैल 2016 को या उसके बाद सौंपा गया था, अधिसूचना सं. 25/2012-एसटी दिनांक 20 जून 2012 (मेगा छूट अधिसूचना) की क्रम सं. 61 के अंतर्गत सेवा कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी है, जैसा कि अधिसूचना सं. 22/2016-एसटी दिनांक 13 अप्रैल 2016 की अंतर्गत संशोधित किया गया है। अधिसूचना संख्या 30/2012- एसटी के अंतर्गत तालिका के क्रम संख्या 6 के अनुसार, इस तरह के सेवा कर का भुगतान सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए।

हमने कर्नाटक सरकार (जीओके) के अंतर्गत खदान तथा भू विज्ञान (डीएमजी) विभाग द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक सत्वों द्वारा पट्टे पर ली गई खदानों के प्रति कर्नाटक सरकार (जीओके), को इन व्यावसायिक सत्वों द्वारा की गई रायल्टी भुगतान से संबंधित डाटा को सत्यापित किया। हमने पाया कि वि.व. 17 के दौरान सौंपी गई खदान के संबंध में रायल्टी के लिए जीओके को कुल ₹ 772.50 करोड़ का भुगतान 31 व्यावसायिक सत्वों द्वारा किया गया परन्तु सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया था। हमने आगे पाया कि विभाग ने डीएमजी के अंतर्गत निगरानी समिति (एमसी) से ली गई जानकारी पर आधारित इन 31 मामलों में से 23 मामलों के संबंध में जाँच पड़ताल शुरू की थी (जुलाई 2016)। विभाग ने जाँच पड़ताल के फलस्वरूप, इन मामलों में से पाँच के संबंध में, खदानों के पट्टे को जारी रखने के लिए सरकार को भुगतान की गई रायल्टी पर सेवा कर की माँग करते हुए कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया था। विभाग ने ₹ 53.16 करोड़ के सेवाकर वाले शेष 18 मामलों के संबंध में जाँच की स्थिति प्रस्तुत नहीं की थी। इसके अलावा, विभाग ने ₹ 4.64 करोड़ के सेवा कर वाले शेष मामलों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की थी।

हमने इसकी जानकारी बेलागावी कमिश्नरी (अप्रैल 2019) तथा बेंगलुरु जोन (मार्च 2019) को दी। बेलागावी कमिश्नरी ने बताया (दिसम्बर 2019) कि आठ ठेकेदारों के संबंध में निर्धारितियों के क्षेत्राधिकार की जानकारी नहीं थी। कमिश्नरी ने लेखापरीक्षा से आठ ठेकेदारों की जानकारी की मांग की थी।

हमने डीएमजी से इन आठ ठेकेदारों में से सात का पता तथा संपर्क जानकारी प्राप्त की तथा विभाग को सूचित किया। शेष एक निर्धारिती की जानकारी उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर विभाग द्वारा की गई कार्रवाई प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2020)।

विभाग के उत्तर से पता चला कि विभाग ने डीएमजी के अंतर्गत निगरानी समिति तथा लेखापरीक्षा से रायल्टी भुगतान की जानकारी प्राप्त करने के बाद भी आठ निर्धारितियों के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसके अलावा, तथ्य कि विभाग द्वारा 18 मामलो जहाँ पहले ही कार्रवाई की गई थी, में माँग नोटिस जारी नहीं किया जाना अप्रभावी निगरानी तंत्र को दर्शाता है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

6.7.3 कॉलबुक में एससीएन का अनियमित स्थानांतरण

बोर्ड परिपत्र सं. 1028/2016 - सीएक्स दिनांक 26 अप्रैल 2016 में निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को निर्दिष्ट किया गया है जिन्हें कॉलबुक में स्थानांतरण किया जा सकता है:

जहाँ नीचे निर्दिष्ट विभिन्न कारणों से एससीएन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है:

- (i) ऐसे मामले जिनमें विभाग, उचित प्राधिकार के पास अपील के लिए गया है।
- (ii) ऐसे मामले जहाँ सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय/सीईजीएटी आदि के द्वारा आदेश जारी किया गया है।
- (iii) ऐसे मामले जहाँ बोर्ड ने विशेष रूप से लंबित रखने तथा कॉलबुक में शामिल किए जाने का आदेश दिया है
- (iv) ऐसे मामले जिन्हें निपटान आयोग को संदर्भित किया गया है।

इसके अलावा क्षेत्रीय संरचनाओं को जारी किए गए मौजूदा निर्देशों के अनुसार लंबित कॉलबुक मामलों की मासिक समीक्षा की आवश्यकता होती है।

बेंगलुरु ईस्ट कमिश्नरी तथा इसके क्षेत्रीय संरचनाओं की लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि कमिश्नरी के अंतर्गत 254 कारण बताओ नोटिस (एससीएन) कॉल बुक में लंबित थे। हमने 72 मामलों की नमूना जांच की तथा पाया कि ₹ 34.88 करोड़ की माँग वाले 21 एससीएन, जो कमिश्नरी के अंतर्गत विभिन्न अधिनिर्णित प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए थे, दो से छः वर्षों के बीच की अवधि से कॉलबुक में लंबित थे। ये मामले, इसके बाद भी कि जिन आधारों पर मामले कॉल बुक में स्थानांतरित किए गए थे, वे अब अस्तित्व में नहीं थे, कॉलबुक में गलत तरीके से रखे गए थे।

हमारे द्वारा इसके बारे में बताए जाने पर, (मई 2018 से दिसम्बर 2018), विभाग ने बताया (जुलाई 2019) कि सभी 21 एससीएन लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर कॉल बुक से वापिस ले लिए गए थे। इनमें से, 17 मामले ₹ 10.78 करोड़ की माँग की पुष्टि करते हुए अधिनिर्णित किए गए थे तथा शेष राशि के लिए मांग छोड़ दी गई थी। शेष चार मामले अधिनिर्णयन के लिए लंबित थे।

कॉल बुक में एससीएन को अनियमित रूप से रोकना; कमिश्नरी द्वारा कॉलबुक मामलों की अप्रभावी आवधिक समीक्षा को दर्शाता है, जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त निर्दिष्ट एससीएन में ₹ 10.78 करोड़ की मांग की पुष्टि करने में असामान्य विलंब हुआ।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2020) कि जीएसटी लागू होने तथा कमिश्नरी के पुर्नगठन के कारण बड़ी संख्या में फाइलें एक क्षेत्राधिकार से दूसरे क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित की गई थी। स्टाफ की कमी तथा जीएसटी के कार्यभार के कारण मासिक आधार पर कॉलबुक की समीक्षा नहीं की गई थी। अधिकारियों को मासिक आधार पर कॉलबुक की समीक्षा करने के लिए सचेत किया गया था।

6.7.4 प्रतिदाय को स्वीकृत करने से पहले अपात्र क्रेडिट की वापसी को सुनिश्चित न करना

सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 5 के अनुसार; अप्रयुक्त क्रेडिट का प्रतिदाय उस निर्धारिती को स्वीकार्य है जो अनुबंध या वचन पत्र (एलओयू) के अंतर्गत शुल्क/कर के भुगतान के बिना निर्यात के लिए माल/सेवाओं की निकासी करता है। उक्त नियम के अंतर्गत जारी अधिसूचना (27/2012-सीई (एनटी)) के अनुसार विभाग द्वारा कोई भी दस्तावेज मांगा जा सकता है, यदि मंजूरी प्राधिकारी (एसी/डीसी) के पास यह मानने का कारण है कि प्रतिदाय दावे में दी गई जानकारी गलत या अपर्याप्त है और प्रतिदाय दावे की मंजूरी से पहले आगे की जाँच की जरूरत है तथा प्रतिदाय मंजूर करने से पहले माल/सेवाओं के निर्यात से संबंध में दावे तथा तथ्यों के सही होने के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करेगा। इस प्रकार, प्रावधानों के अनुसार विभाग को इस तरह के अप्रयुक्त क्रेडिट से संबंधित प्रतिदाय की मंजूरी से पहले निर्धारिती द्वारा दावा किए गए सेनवैट क्रेडिट का सही होना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 4(1) के प्रावधानों के अनुसार, विनिर्माता के कारखाने में, या आउटपुट सेवा के प्रदाता परिसर में प्राप्त इनपुट के संबंध में सेनवैट क्रेडिट, इनपुट प्राप्त होने पर तत्काल लिया जाना आवश्यक है। इसके अलावा, अधिसूचनाएं 21/2014-सीई (एनटी) दिनांक 11 जुलाई 2014 और 06/2015-सीई (एनटी) 1 मार्च 2015, क्रेडिट के दावे को, नियम 9 के अंतर्गत बीजक जारी करने की तिथि से क्रमशः छः महीने और एक वर्ष के अन्दर लेने को बाधित करती हैं।

गोवा कमिश्नरी की डिवीजन IV में प्रतिदाय दावों की नमूना जाँच के दौरान, हमने पाया कि एक निर्धारिती ने जून 2017 में ₹ 12.88 करोड़ के लिए प्रतिदाय दावे को फाइल किया था। विभाग ने ₹ 25.06 करोड़ के कुल सेनवैट क्रेडिट में शामिल ₹ 41.96 लाख के अपात्र क्रेडिट के कारण प्रतिदाय दावे में से ₹ 12.71 करोड़ की राशि की मंजूरी दी तथा ₹ 16.60 लाख (दिसम्बर 2017) को नामंजूर किया था जिसकी उक्त प्रतिदाय के लिए गणना की जानी थी। यद्यपि, निर्धारिती के प्रतिदाय के प्रसंस्करण के दौरान विभाग को अपात्र क्रेडिट

का पता चला, परन्तु विभाग, अपात्र क्रेडिट की वसूली के लिए कोई कार्रवाई करने में विफल रहा।

हमारे द्वारा इस के बारे में बताए जाने पर (जून 2018), मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार न (मार्च 2020) करते हुए कहा कि निर्धारिती ने पहले से ही ₹ 41.96 लाख के क्रेडिट को वापिस कर दिया था। राशि के दौबारा क्रेडिट न लेने के निर्देश के साथ ₹ 16.60 लाख के प्रतिदाय दावे को अस्वीकार कर दिया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जून 2018 में लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बाद नवम्बर 2018 में निर्धारिती द्वारा ₹ 25.35 लाख का शेष क्रेडिट वापिस किया गया था, जो यह दर्शाता है कि निर्धारिती द्वारा प्रतिदाय दावे को फाइल करने से पहले क्रेडिट वापिस नहीं किया गया था।

6.7.5 प्रतिदाय दावे पर ब्याज का भुगतान

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 35 एफएफ के अनुसार, जहाँ आयुक्त (अपील) या अपीलीय न्यायाधिकरण (इसके बाद अपीलीय प्राधिकरण के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अपीलकर्ता द्वारा जमा की गई राशि को अपीलीय प्राधिकरण के प्रथम परंतुक के अंतर्गत वापिस किया जाना आवश्यक है और यदि ऐसी राशि को अधिनिर्णयन प्राधिकरण के लिए इस तरह के आदेश के संचार की तिथि के तीन महीनों के अन्दर वापिस नहीं किया जाता है, जब कि अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के प्रचालन पर किसी वरिष्ठ न्यायलय या न्यायधिकरण द्वारा रोक नहीं लगाई जाती है, तब अपीलीय प्राधिकरण के आदेश के प्रचालन की तारीख से तीन महीने की समाप्ति के बाद ऐसे राशि के प्रतिदाय की तारीख तक धारा 11बी में निर्दिष्ट दर पर अपीलकर्ता को ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

वि.व. 18 के दौरान दिल्ली दक्षिण कमिश्नरी के हौज खास सीजीएसटी डिवीजन द्वारा स्वीकृत प्रतिदाय की नमूना जाँच के दौरान, हमने पाया कि जीएसटी से पूर्व की अवधि से संबंधित सेनवैट क्रेडिट के अस्वीकार्य लाभ उठाने के मद्देनजर एक निर्धारिती को एससीएन जारी किया गया था। विभाग द्वारा एससीएन अधिनिर्णित किए गए थे। अधिनिर्णयन द्वारा व्यथित, निर्धारिती ने

सीईएसटीएटी में पाँच अपील फाइल की थी तथा निर्धारिती को सीईएसटीएटी द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 एफ के अंतर्गत ₹ 3.03 करोड़ के पूर्व जमा करने के आदेश दिए थे। दायर की गई अपीलों का निर्धारण सीईएसटीएटी आदेशों दिनांक 21 मई 2013 तथा 22 दिसम्बर 2016 के अंतर्गत निर्धारिती के पक्ष में किया गया था। विभाग द्वारा सीईएसटीएटी आदेशों के संबंध में प्रतिदाय आदेशों पर कार्यवाई नहीं की गई थी, निर्धारिती ने 20 फरवरी 2017 को ब्याज सहित ₹ 3.03 करोड़ के लिए रिफंड दावा आवेदन दायर किया। हालांकि, विभाग ने 25 सितम्बर 2017 तथा 01 सितम्बर 2017 को ₹ 70.83 लाख के ब्याज सहित प्रतिदाय आदेश जारी किए थे। इस प्रकार अपीलीय प्राधिकरण के आदेश की तिथि से प्रतिदाय राशि की मंजूरी में तीन वर्ष से अधिक तक का विलंब हुआ जिसमें परिणामस्वरूप विभाग द्वारा ₹ 70.83 लाख के ब्याज का अपरिहार्य भुगतान हुआ।

हमारे द्वारा इस के बारे में बताए जाने पर (मार्च 2019), मंत्रालय ने लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए अनुचित विलंब को स्वीकार न करते हुए बताया (सितम्बर 2020) कि विभाग में दो बार संवर्ग पुनर्गठन हुआ था, और तत्पश्चात क्षेत्राधिकारों में बदलाव हुआ था। वर्तमान क्षेत्राधिकार अधिकारी को जुलाई 2017 में प्रतिदाय फाइल प्राप्त हुई तथा प्रतिदाय दावे को सितम्बर 2017 में निपटाया गया।

विभाग के संवर्ग पुनः संरचना पर विचार करने के बाद भी प्रतिदाय की मंजूरी में तीन वर्ष से अधिक के विलंब को देखते हुए मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

6.7.6 बकाया वसूली के लिए प्रतिरोधी उपाय शुरू करने में विभाग की विफलता

सीबीआईसी के परिपत्र सं. 967/01/2013-सीएक्स दिनांक 1 जनवरी 2013 के अंतर्गत पुष्टिगत मांगों के प्रति वसूली कार्रवाई के संबंध में निर्देश जारी किए, जिन्हें कारण बताओ नोटिस, अधिनिर्णयन तथा वसूली पर मास्टर सर्कलुर दिनांक 10 मार्च 2017 में फिर से दोहराया गया। इन निर्देशों के अनुसार, जिन मामलों में आदेशों के प्रति प्रतिदाय अपील दायर नहीं की गई है, उन मामलों में अपील की अवधि खत्म होने के बाद विभाग को बकाया की वसूली के लिए

कार्रवाई करनी चाहिए। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 87 के अंतर्गत सेवा कर बकाया की वसूली किसी भी शक्ति का प्रयोग करके की जा सकती है जैसे देय प्रतिदाय से समायोजन, किसी तीसरे व्यक्ति को गनिंशी नोटिस जारी करना, जो उस व्यक्ति, जिसके खिलाफ मांग की पुष्टि की गई है, को राशि के लिए उत्तरदायी है, अचल संपत्तियों की बिक्री या जब्त करना या बेचना या भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य राशि को प्रामाणिक कार्रवाई करना।

वि.व. 20 में बेलागावी कमिश्नरी तथा इसके क्षेत्रीय संरचनाओं की लेखापरीक्षा के दौरान, हमने कमिश्नरी के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर वसूली के लिए लंबित ₹ 171.55 करोड़ के देयता वाले सेवा कर की पुष्टिगत माँग के 168 मामलों का सत्यापन किया। कर बकाया रिपोर्ट (टीएआर) तथा संबंधित फाइलों के सत्यापन से पता चला कि विभाग ने ₹ 46.62 करोड़ के देय कर वाले 69 मामलों में पूर्वोक्त धारा 87 के अंतर्गत निर्दिष्ट बकाया की वसूली के लिए बलपूर्वक उपाय शुरू नहीं किए गए, यद्यपि ये मामले ऐसी कार्रवाई के लिए उपयुक्त थे, जो इस प्रकार है:

- i. ₹ 5.59 करोड़ के देय कर वाले दो निर्धारितियों से संबंधित चार मामलों को गलत तरीके से श्रेणी “इकाई बंद या चूककर्ताओं का पता नहीं लगाया गया” के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था जबकि ये दोनों निर्धारिती माल तथा सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत पंजीकृत थे तथा विवरणी फाइल कर रहे थे।
- ii. विभाग ने अपील अवधि के पूरा होने के बावजूद “अपील अवधि पूरी नहीं हुई” की श्रेणी के अंतर्गत ₹ 28.03 करोड़ की पुष्टि माँग वाले 51 मामलों को वर्गीकृत किया जबकि निर्धारितियों द्वारा अपील फाइल नहीं की गई थी।
- iii. विभाग ने “अपील अवधि खत्म” की श्रेणी के अंतर्गत ₹ 12.80 करोड़ की पुष्टिकृत मांग वाले 14 मामलों में कोई कार्यवाई शुरू नहीं की थी, यद्यपि ये निर्धारिती जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत थे तथा विवरणी फाइल कर रहे थे।

इस प्रकार, बकाया की वसूली के लिए विभाग की ओर से बकाया तथा निष्क्रियता के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 46.62 करोड़ की वसूली में देरी हुई बल्कि, ये राशि वसूली न होने के जोखिम में बनी रही।

हमने इसके बारे में जुलाई 2019 तथा फरवरी 2020 में इंगित किया। कमिश्नरी का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2020)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

6.7.7 सेवा कर का पंजीकरण न होना तथा भुगतान न होना

26 मई 2003 को चीफ आयुक्त को परिचालित की गई सेवा कर महानिदेशक की कार्य योजना के अनुसार, क्षेत्रीय संचालनों द्वारा कर आधार को व्यापक बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, बोर्ड ने प्रत्येक कमिश्नरी में एक विशेष सेल बनाने के निर्देश जारी किए, जिससे विभिन्न स्रोतों जैसे यैलो पेजिज, समाचार-पत्र विज्ञापनों, आयकर विभाग, क्षेत्रीय पंजीकरण प्राधिकरण तथा वेबसाइट, नगर निगमों से प्राप्त जानकारी, प्रमुख निर्धारितियों इत्यादि से अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं की पहचान की जा सके।

धारा 68 में प्रावधान है कि कर योग्य सेवाएं प्रदान करने वाला व्यक्ति सेवा कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा जब तक की विशेष रूप से सेवा कर के भुगतान से छूट न दी जाए। सेवा कर नियमावली, 1994 का नियम 4 निर्दिष्ट करता है कि सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान की गई सेवाओं पर सेवा कर उदग्राह्य होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर पंजीकृत किया होना चाहिए।

2019 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 4 में शामिल किये गये, 'पैरा सं. 5.3.2: स्थानीय निकायों का पंजीकरण न करना तथा इसके परिणामस्वरूप सेवा कर का भुगतान न करना', की अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अनुसार हमने कर्नाटक सरकार द्वारा बनाई गई एक समिति के सेवाकर लेखों की जाँच की तथा पाया कि हालांकि समिति ने न तो सेवा कर के अंतर्गत स्वयं को पंजीकृत किया तथा न ही अपनी सेवा कर देयता का निर्वहन किया, परन्तु विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की।

समिति राज्य में, विभिन्न ई-गवर्नेंस पहलों की संकल्पना, कार्यान्वयन तथा निगरानी करने में संलिप्त है। इसके अलावा, समिति में एक अधिप्राप्ति ई-अनुभाग था जो एक नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करती है तथा ठेकेदारों को निविदा मंगवाने, निविदा समयसारणी तथा निविदा ऑनलाइन जमा करने के लिए नोटिस डाउनलोड करने में सक्षम बनाता है। समिति प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रतिफल के रूप में ग्राहकों से निविदा प्रोसेसिंग, ई-नीलामी शुल्क, आपूर्ति पंजीकरण फीस, नवीनीकरण फीस इत्यादि जैसे प्रभार एकत्र करती है। इसके अलावा, समिति विभिन्न बिजली कंपनियों को भी सेवाएं प्रदान करती है तथा पोर्टल उपयोग तथा मोबाइल वन ऐप उपयोग के संबंध में इन कम्पनियों से सेवा प्रभार एकत्र करती है। इसके अलावा, समिति विभिन्न बिजली कंपनियों को भी सेवाएं प्रदान करती है तथा पोर्टल उपयोग तथा मोबाइल वन ऐप उपयोग के संबंध में इन कम्पनियों से सेवा प्रभार एकत्र करती है। यद्यपि ये सेवाएं, सेवा कर प्रावधानों के अंतर्गत कर योग्य हैं, समिति ने न ही सेवा कर प्रावधानों के अंतर्गत स्वयं को पंजीकृत किया तथा न ही अप्रैल 2014 से मार्च 2017 की अवधि के लिए ₹ 9.95 करोड़ की सेवा कर देयता को प्रभारित किया।

हमारे द्वारा इसके बारे में बताए जाने पर (दिसम्बर 2018), कमिश्नरी ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया (नवम्बर 2019) तथा अप्रैल 2014 से जून 2017 की अवधि के लिए ₹ 11.05 करोड़ की सेवा कर की माँग करते हुए निर्धारितियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे।

उत्तर इन कारणों पर मौन है कि विभाग निर्धारिती को कर आधार के अंतर्गत लाने के लिए कोई कार्रवाई शुरू करने में विफल रहा तथा तथा लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने तक देय की वसूली नहीं की।

मंत्रालय का उत्तर प्रतिक्षित है (दिसम्बर 2020)।

6.7.8 क्षेत्राधिकारी द्वारा सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण के लिए कार्रवाई शुरू न करना

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 72, ऐसे निर्धारिती जो एसटी-3 विवरणी दाखिल नहीं करते हैं, उनके मामले में विभागीय अधिकारियों को अपने निर्णय के सर्वोत्तम स्तर पर कर योग्य मूल्य का निर्धारण करने तथा लिखित रूप से एक आदेश जारी करके, निर्धारिती द्वारा देय कर का निर्धारण करने के लिए शक्तियां प्रदान करती है। अधिनियम की धारा 73 में संबंधित तिथि से 30 महीने के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करना निर्धारित किया गया है, जब तक कि विस्तारित अवधि लागू न की जाए। यह धारा समान आधार पर पूर्व में जारी एससीएन जारी रखने में मांगों को जारी रखने के मामले में मांग के विवरण (एसओडी) जारी करना भी निर्दिष्ट करती है।

बेंगलुरु ईस्ट कमिश्नरी के अंतर्गत एईडी-1 रेंज की लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया कि मार्च 2012 तक की अवधि के लिए ग्राहकों से वसूले गए सेवा कर को प्रेषण न करने के लिए एक निर्धारिती के प्रति तत्कालीन सेवा कर कमिश्नरी, बेंगलुरु की एंटी-इवेजन अनुभाग द्वारा एक अपराधिक मामला दर्ज (अक्टूबर 2012) किया गया था। परिणामस्वरूप, विभाग ने एक एससीएन जारी (अक्टूबर 2012) किया तथा लागू ब्याज तथा शास्ति के साथ सेवा कर मांग की पुष्टि की (मई 2013)। निर्धारिती ने केवल आंशिक रूप से देय राशि का भुगतान किया था तथा शेष राशि वसूली के लिए लंबित है। हमने आगे पाया कि अप्रैल 2013 के बाद की अवधि के लिए निर्धारिती ने न ही सेवा कर का भुगतान किया तथा न ही एसटी-3 विवरणी फाइल किया था। आयकर विभाग से प्राप्त विवरण से पता चला कि निर्धारिती ने वि.व. 14 से वि.व. 16 तक की अवधि के लिए ₹ 491.42 लाख की आय की घोषणा की थी तथा उस पर ₹ 61.89 लाख⁹⁶ के सेवा कर का भुगतान देय था। चूंकि, निर्धारिती ने एसटी-3 विवरणी फाइल नहीं की थी, विभाग को पूर्वोक्त धारा 72 के अंतर्गत निर्धारित सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण के लिए कार्रवाई शुरू करनी चाहिए थी। यद्यपि विभाग को निर्धारिती के विवरणी दाखिल नहीं करने तथा सेवा कर के भुगतान

⁹⁶ इस राशि की अनंतिम गणना निर्धारिती के आयकर विवरणी में घोषित सकल सेवा आय तथा वि.व. 14 एवं वि.व. 15 के लिए 12.36 प्रतिशत तथा वि.व. 16 के लिए 14 प्रतिशत की कर दर के आधार पर ₹ 61.89 लाख के रूप में की गई है।

न करने की जानकारी थी, परंतु विभाग ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की थी।

इस के बारे में बताए जाने पर (अक्टूबर 2018), मंत्रालय ने यह कहते हुए विभाग की विफलता को स्वीकार नहीं किया कि निर्धारिती ने अप्रैल 2013 से जून 2017 की अवधि के लिए देर से एसटी-3 विवरणी फाइल की थी (फरवरी-मार्च 2019)। विभाग ने निर्धारिती का पता लगाने का प्रयास किया था परन्तु निर्धारिती अपने पंजीकृत परिसर में उपलब्ध नहीं था। विभाग केवल जीएसटी व्यवस्था में ही निर्धारिती का पता लगा सका तथा फिर से निर्धारिती को पिछली अवधि के लिए अपनी विवरणी फाइल करने के लिए कहा, जिसके बाद निर्धारिती ने अपनी विवरणी फाइल की थी। विभाग ने इस मामले का विस्तार से सत्यापन किया तथा अक्टूबर 2013 से जून 2017 तक की अवधि के लिए ₹ 55.60 लाख के सेवा कर की माँग करने के लिए निर्धारिती को एक एससीएन जारी किया। मंत्रालय ने आगे कहा (फरवरी 2020) कि निर्धारिती ने इस मामले के लिए सबका विश्वास - विरासतीय विवाद समाधान योजना, 2019 (एसवीएलडीआरएस) के अंतर्गत आवेदन दायर किया और इस योजना के अंतर्गत ₹ 27.80 लाख के सेवा कर का भुगतान किया।

निर्धारिती का पता लगाने में पाँच वर्ष से अधिक की देरी को देखते हुए मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, जिस दौरान निर्धारिती अपने ग्राहकों को कर योग्य सेवाएं प्रदान कर रहा था, वह निर्धारिती का पता लगाने में विभाग द्वारा किए गए प्रयासों में कमी दिखा रहा है।

6.7.9 एसटी-3 विवरणी को देर से फाइल करने के संबंध में विलंब शुल्क का उद्ग्रहण न होना

सेवा कर नियमावली के नियम 7सी के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 70, सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा रेंज अधिकारी को विवरणी जमा करने को निर्धारित करता है। विवरणी दाखिल करने में देरी की स्थिति में विलंब शुल्क देय होता है। 15 दिन तक देरी के विलंब शुल्क फीस ₹ 500 15 दिन से अधिक तथा 30 दिन तक की देरी के लिए ₹ 1000 निर्धारित है। 30 दिन से अधिक विलंब होने की स्थिति में विलंब

शुल्क ₹ 1000 तथा 31 दिन से प्रत्येक दिन के लिए ₹ 100 हैं जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 20,000 है।

वि.व. 19 में की गई लेखापरीक्षा के दौरान, हमने पाया कि बेंगलुरु उत्तर कमिश्नरी के अंतर्गत आने वाली तीन रेंज⁹⁷ में निर्धारितियों द्वारा 193 एसटी-3 विवरणियां देर से फाइल की गई थी। तथापि रेंज अधिकारियों ने निर्धारितियों से ₹ 18.77 लाख के विलंब शुल्क की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी।

हमारे द्वारा इस के बारे में बताए जाने पर (अक्टूबर 2018 तथा मई 2019), कमिश्नरी ने उत्तर दिया (जनवरी 2020) कि 39 विवरणी के संबंध में ₹ 2.75 लाख की वसूली की गई थी तथा इन तीन निर्धारितियों ने सबका विश्वास-विरासतीय विवाद समाधान योजना, 2019 के अंतर्गत आवेदन फाइल किया था। 106 मामलों के संबंध में कार्रवाई शुरू की गई थी, जबकि विभाग 42 निर्धारितियों का पता लगाने का प्रयास कर रहा था। तीन निर्धारितियों के संबंध में अनुपालन की प्रतीक्षा है जिनका क्षेत्राधिकार संबंधित रेंज से बाहर बताया गया था। हालांकि, विभाग ने राजस्व निहितार्थ को स्वीकार किया था, लेकिन देर से फीस वसूलने के लिए नियमों के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा नहीं होने के आधार पर विभाग ने लेट फीस वसूली के लिए समय पर कार्रवाई करने में अपनी विफलता स्वीकार नहीं की। विभाग ने आगे बताया कि यद्यपि उचित कार्रवाई की गई है, इसलिए कुछ महीनों में वसूली पूरी कर ली जाएगी।

यद्यपि विलंब शुल्क की वसूली के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, विभाग ने 1 जुलाई 2017, जब से कि नई जीएसटी कर व्यवस्था लागू हुई, से डेढ़ साल तक पुरानी कर व्यवस्था के अंतर्गत विलंब शुल्क की वसूली के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की, जब तक कि सीएजी लेखापरीक्षा ने उक्त विषय पर नहीं बताया। तथ्य, कि 42 मामलों के संबंध में निर्धारितियों का पता नहीं लगाया जा सकता है, समय पर कार्रवाई के महत्व को दर्शाता है, क्योंकि विवरणी केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर (एसीईएस) प्रणाली में स्वचालन के जरिए रेंज अधिकारी को फाइल दिया जाना था, इसीलिए विभाग के पास वसूली के लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करने के लिए पर्याप्त जानकारी थी। तथ्य यह है कि विभाग ने इस उद्देश्य के लिए, एसीईएस या मैनुअल रूप से अपेक्षित तंत्र

⁹⁷ रेंज एएनडी-3, एएनडी-5 तथा डीएनडी-4

तैयार नहीं किया तथा विलंब शुल्क वसूल करने के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की, जबकि बड़ी संख्या में विवरणियां देर से दाखिल की गई थी जो एसीईएस लागू होने के बाद भी विभाग की ओर से गंभीर नियंत्रण चूक दर्शाता है। इसीलिए विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।



(सतीश सेठी)

नई दिल्ली

दिनांक: 15 फरवरी 2021

प्रधान निदेशक (माल एवं सेवा कर-II)

प्रतिहस्ताक्षरित



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

नई दिल्ली

दिनांक: 15 फरवरी 2021

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक